भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4811
(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलंब

4811. डॉ॰ अमर सिंहः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब में मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी की राशि जारी करने में काफी विलंब हुआ है;
(ख) यदि हां, तो पंजाब में मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी राशि जारी करने में हुए विलंब का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को नियमित रूप से एवं समय पर मजदूरी राशि जारी करना सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली विकसित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा योजना) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज करना निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। केंद्र सरकार काम की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराती है। मंत्रालय स्वीकृत श्रम बजट, प्रारंभिक शेष, यदि पिछले वित्तीय वर्ष की कोई लंबित देनदारियां हों, तो उन देनदारियों और समग्र निष्पादन के आधार पर राज्यों को निधियां रिलीज करता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 19.07.2019 तक) के दौरान पंजाब को 35886.7 लाख रु. रिलीज किए गए हैं।

(ग) : मनरेगा कामगारों को मजूदरी के भुगतान में होने वाले विलंब को कम करने के लिए मंत्रालय ने प्रयास किए हैं। जिनमें शामिल हैं:

(i) 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का विस्तार करना।

(ii) मजदूरियों के समय से भुगतान की कार्यनीति और लंबित प्रतिपूर्ति दावों के सत्यापन आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों के साथ गहन परामर्श करना ।

(iii) समय से भुगतान की निगरानी करने और प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार करना।

(iv) समय से भुगतान और प्रतिपूर्ति का भुगतान करने में हुए विलंब की समीक्षा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार वीडियों कॉन्फ्रेंस करना।

*****